न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 74/2025(GCMS : 2025/91)

1. **हरबन्स सिंह** पुत्र श्री जीत सिंह जाति बाजीगर निवासी 12 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. **अजायब सिंह** पुत्र श्री जीत सिंह जाति बाजीगर निवासी 12 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
3. **मनदीप कौर उर्फ सीबो** पुत्री श्री जीत सिंह जाति बाजीगर निवासी 12 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
4. **सुखपाल सिंह** पुत्र श्री जीत सिंह जाति बाजीगर निवासी 12 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **सुभाष** पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी नाथुसरी चोपटा हरियाणा हाल आबाद गीगोरानी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. **विमला देवी** पत्नी देवीलाल जाति धानक निवासी गीगोरानी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. **विनिता ढिल्लो,** तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.03.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश छाबडा उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी हरबन्स सिंह ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार, घड़साना के न्यायालय में रिमाण्ड प्रकरण संख्या 28/2022 अनवान सुभाष बनाम सरपंच 17 एमडी वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया था। तत्कालीन तहसीलदार, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है, इसलिए यह प्रकरण निष्प्रभावी होने के कारण खारिज करने योग्य है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार, घड़साना के न्यायालय में विचाराधीन रिमाण्ड प्रकरण संख्या 28/2022 अनवानी सुभाष बनाम सरपंच 17 एमडी वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन तहसीलदार, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर